निर्णय बइजालास प्रकाश चन्द रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 599/दावा/2010 तारीख दायराः–06.09.2010

उनवान

1. श्रीमति नन्दूबाई पुत्री बसनीबाई एवं भागचन्द पत्नि श्री रामचरण जाति कहार निवासी नौलाव हाल मुकाम मण्डावर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
2. श्री राम प्रसाद पुत्र बसनी बाई एवं भागचन्द जाति कहार निवासी ग्राम नौलाव तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

–वादीगण

बनाम

1. श्री कंवरलाल पुत्र नानूराम जाति कहार निवासी नौलाव तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

1/1 . गुड्डीबाई बेवा कंवरलाल
1/2. प्रिया नाबा0 पुत्री कंवरलाल बविलायत गुड्डीबाई माता खुद
1/3. रेणुका नाबा0 पुत्री कंवरलाल बविलायत गुड्डीबाई माता खुद
1/4. राधिका नाबा0 पुत्री कंवरलाल बविलायत गुड्डीबाई माता खुद
1/5. निधी नाबा0 पुत्री कंवरलाल बविलायत गुड्डीबाई माता खुद
1/6. लक्की नाबा0 पुत्री कंवरलाल बविलायत गुड्डीबाई माता खुद
1/7. चित्रांश नाबा0 पुत्र कंवरलाल बविलायत गुड्डीबाई माता खुद जाति कहार निवासी नौलाव

2. श्री राजमल पुत्र नानूराम जाति कहार निवासी नौलाव तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
3. श्री रवि नाबालिग पुत्र नानूराम जरिये वली माता खुद हरकूबाई बेवा नानूराम जाति कहार निवासी नौलाव तहसील झालरापाटन
4. दुर्गीबाई पुत्री नानूराम जाति कहार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां
5. श्री अरविन्द पुत्र नानूराम जाति कहार निवासी नौलाव तहसील झालरापाटन
6. हरकूबाई बेवा नानूराम जाति कहार निवासी नौलाव तहसील झालरापाटन
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए,183,188, 209 आर0टी0एक्ट, 1955

उपस्थित– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी(वादीगण)
विद्वान अभिभाषक श्री दीनदयाल नागर (प्रतिवादीगण)

निर्णय

दिनांकः–14.03.2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार की ग्राम नौलाव तहसील झालरापाटन की खाता सं0 21 सम्वत् 2062 से 2065 कुल किता 14 रकबा 8.34 है0 आराजी पन्ना पुत्र कान्हा एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के खाते दर्ज है। प्रश्नगत आराजी भू–प्रबन्ध जमाबन्दी ग्राम नौलाव सम्वत् 2039 में वर्णित खसरा नं0 पन्ना पुत्र कान्हा तथा नानूराम पुत्र रत्ना के खाते दर्ज है। पन्ना पुत्र कान्हा का देहान्त करीब 6 वर्ष पहले हो गया था। जिसके वक्त देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार कानून की क्लास I, II, III में वर्णित कोई भी वारिसान नहीं थे एवं पन्ना वल्द कान्हा की सगी बहिन बसनीबाई थी। जो भागचन्द कहार नौलाव वालो के यहां ब्याही थी वह भी मर चुकी थी। बसनीबाई एवं भागचन्द के बदन एवं नुत्फे से वादीगण पैदा हुये। जिस कारण क्लास–4 हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत वादीगण पन्ना पुत्र कान्हा के जायज वारिस एवं कायम मुकाम जिन्हें बिना सूचित किये प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने वादीगण ने धोखा व फरैब करते हुये सही तथ्यों को छुपाते हुये पन्ना के हिस्से की आराजीयात पर अपना नामान्तरित करा लिया जो इन्द्राज कानून के खिलाफ है एवं अवैद्य एवं नल एवं वाइड है। जो रद्द किये जाने योग्य है। वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार कानून की क्लास–4 के तहत पन्ना पुत्र कान्हा के वैध उत्तराधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

Scanned by CamScanner

जिसकारण प्रश्नगत आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा नीहित है तथा खातेदारी अधिकार बहक वादीगण करा पाने के पात्र है चूंकि राज0 टिनेन्सी एक्ट के अनुसार हक विरासत पर्सनल लॉ यानि हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार वादीगण पन्ना पुत्र कान्हा के वारिस मालिक कायम मुकामान है। प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में रामकल्याण पुत्र फूंदीलाल जाति कहार निवासी नौलाव ने एक वाद सं0 548 /2006 इसी न्यायालय में पेश किया था जो प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया था जिसमे वादी नम्बर 1 ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ऑर्डर–1 रूल 10 तथा रूल (2) धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् बनाये जाने पक्षकार पेश किया था। जिसका विरोध रामकल्याण तथा प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है। जिसे इस न्यायालय में दिनांक 14.07.2010 को खारिज कर दिया किन्तू आदेश दिया की यदि नन्दूबाई अपना क्लेम लेना चाहती है तो वह दावा करने को स्वतंत्र है। जिस कारण वादीगण यह दावा पेश कर रहे है। उक्त वाद सं0 548/2006 माननीय न्यायालय ने दिनांक 16.08.2010 को साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने से मय खर्चा खारिज कर दिया जिस बाबत् सत्यापित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 16.08.2010 एवं डिक्री पेश की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने वादीगण को जान–बूझ कर नुकसान पहुंचाने की गरज से एवं स्वयं को लाभान्वित करने एवं वादीगण का हक मारने को राजस्व अधिकारियों से मिलकर नामान्तरकरण सं0 97 दिनांक 07.01.2006 को खुलवाया जो वादीगण के साथ धोखा एवं फरैब है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को विधिवत् अधिकार हासिल नहीं होते है।

वादीगण प्रश्नगत आराजी का कानून सम्वत विभाजन कराना चाहते है। जिसके तहत धारा 53 में वाद पेश किया है। प्रतिवादी रवि पुत्र नानूराम नाबालिग है। जो उसकी हरकूबाई की विलायत रह रहा है। हरकूबाई नाता खुद पेश कर रहे है। उसके हित विरूद्ध नहीं है। वादीगण का वाद कानून सम्वत विभाजन एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इसलिए निषेधाज्ञा भी चाहते है। जिस कारण यह वाद धारा 88 के तहत भी पेश किया है। यदि प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी पर अपना नाजायज कब्जा होना अपने जवाबदावें में प्लीड करें तो भी वह अतिक्रमी है एवं अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0 एक्ट के तहत काबिल बेदखली है। वाद कारण सम्माननीय न्यायालय द्वारा वादिया का एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.07.2010 को खारिज होने से उत्पन्न हुआ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से वकील श्री श्यामसुन्दर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा पत्रावली वास्ते जवाबदावा रखी गई। वकील प्रतिवादीगण की तरफ से दिनांक 23.03.2011 को जवाबदावा पेश किया गया जिसकी प्रति वकीलवादी को दिलवायी गई तथा पत्रावली में दावा एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है।

तनकी नं0 1 आया वादीगण पन्ना वल्द कान्हा कहार निवासी नौलाव की सगी बहिन बसनी बाई की पुत्री तथा पुत्र है तथा तन्हा वारिसान है। जिस कारण दावे की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से के खातेदार टिनेन्ट घोषित किये जाने के पात्र है।

–वादीगण

तनकी नं0 2 आया वादीगण दावे की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात का कानून सम्वत विभाजन करा कर 1/2 हिस्सा जुदागाना अपने खाते दर्ज करा पाने के पात्र है। तथा कब्जा पाने के पात्र है।

–वादीगण

तनकी नं0 3 आया दावा विशेष कथन की मद 1, 2, 3 के प्रकाश में काबिल खारिज है।

–प्रतिवादीगण

तनकी नं0 4 आया प्रतिवादीगण विशेष हर्जा 5000/–रू पाने को पात्र है।

–प्रतिवादीगण

अनुतोषः–

उपखण्ड अधिकारी
आमेर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

पत्रावली में न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाने के पश्चात तथा पत्रावली में
उपलब्ध दस्तावेज उभयपक्षकारान विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने के बाद तनकी
वाइज विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया गया।

तनकी नं0 1 इस तनकी के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबन्दी ग्राम नौलाव
सम्वत् 2062 से 2066 प्रदर्श–1 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम नौलाव सम्वत् 2039 प्रदर्श–2,
नकल आर्डर शीट दिनांक 04.05.2010 से 14.07.2010 प्रदर्श–3, एवं इस न्यायालय के
प्रकरण सं0 548/2006 रामकल्याण बनाम कंवरलाल निर्णय दिनांक 16.08.2010 प्रदर्श–4
एवं डिक्री दिनांक 16.08.2010 प्रदर्श–5 पेश की है। जिसमें प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का
नाम प्रश्नगत आराजी में मृतक पन्ना के स्थान पर फौती इन्तकाल नं0 97 दिनांक 07.01.
2006 मृतक के वारिसान होने पर खातेदारी में नाम आया है। जो कानूनी रूप से मृतक
पन्ना के वारिसान होने से खातेदारी अधिकार रखते है। वादीगण पन्ना पुत्र कान्हा की बहिन
बसनीबाई की पुत्री व पुत्र जिन्हें पुश्तैनी जायदाद में रक्त सम्बन्ध न होने से मृतक पन्ना के
वारिसान के साथ किसी भी प्रकार का हिस्सा बंटवारा किया जाना विधि अनुरूप नहीं है।
वादीगण द्वारा प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 के अवलोकन से भी स्पष्ट है
की वादीगण ने रामकल्याण से मिलकर प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में इस न्यायालय में एक
दावा जो तनकी में उपर दर्शाया गया है। पेश किया था। जिसमें प्रतिवादीगणों को पक्षकार
बनाया गया था। जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 16.08.2010 को खारिज किया गया। वकील
प्रतिवादीगण ने अपनी जिरह में बताया की वादीगण ने दावा सं0 548/2006 में एक
प्रार्थना–पत्र पक्षकार बनने के लिए पेश किया था जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर
दिया तथा वादीगण ने तनकी नं0 1 में दर्शाये गये वाद में अनुतोष न मिलने पर पृथक से
वाद दायर किया गया है। वादीगण ने अपने बयान पी0डब्ल्यू 01 में कहा है कि प्रतिवादीगण
ने पन्ना पुत्र कान्हा के हिस्से की जमीन पर गलततौर से नाम चढ़वा लिया है। जिसका
उनको कोई अधिकार नहीं है तथा वादी रामप्रसाद सगे भाई–बहिन है एवं भागचन्द के नुत्फे
से पैदा हुये है। पन्ना वल्द कान्हा की सगी बहिन बसनीबाई भागचन्द कहार नौलाव वालों
को ब्याई थी जो मर चुकी है। जिरह में वादनी ने यह माना की वादनी बसनीबाई नौलाव में
रहती थी। पन्ना को मरे चार पांच साल हो गये है। मेरे को पन्ना के मरने का पता चल
गया था। कंवरलाल वगैरह पन्ना के दूसरे भाई के लड़के के लड़के है। यह नौलाव में रहते
है। पन्ना की घरवाली पन्ना से दो माह पहले मर गई थी। पन्ना कंवरलाल वगैरह साथ ही
रहते थे। जमीन पन्ना की थी, बाप दादाओं की नहीं थी। पन्ना ने अपनी मरजी से जमीन
कंवरलाल वगैरह को दे दी थी व उनके जीवनकाल से ही जमीन कंवरलाल वगैरह हांक रहे
थे। आज भी कंवरलाल वगैरह जमीन हांक रहे है। यह बात सही है कि यह दावा मेरे से
रामकल्याण ने करवाया है। यह बात सही है। रामकल्याण ने कंवरलाल पर पहले दावा कर
रखा था जो खारिज हो गया है। वादनी ने स्वयं अपने जिरह बयानों में स्वीकार किया है कि
पूर्व का वाद जो रामकल्याण ने दायर किया था। जिसमें वादनी ने पक्षकारान बनने का
प्रार्थना–पत्र लगाया था। उसको न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया है। पी0डब्ल्यू 02
रामप्रसाद ने अपने बयान एवं जिरह में यह माना की प्रश्नगत आराजी पन्ना ने अपनी
प्रश्नगत आराजी कंवरलाल वगैरह को अपनी इच्छा से दी थी तथा उस आराजी को
कंवरलाल वगैरह ही हांक रहे है। अतः वादनी के बयान एवं अन्य गवाह के जिरह में
विरोधाभास होने से तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह साबित हो
जाता है कि वादनी को प्रश्नगत आराजी में किसी भी तरह की हिस्सेदारी एवं सहखातेदारान
के रूप में जोड़ा जाना न्याय संगत नहीं होगा अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के
विरूद्ध तय किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

तनकी नं0 2 इस तनकी का विवेचन विस्तृत रूप से तनकी नं0 1 में किया जा चुका वादीगण प्रश्नगत आराजी में 1/2 हिस्सा पाने के अधिकार नहीं रखते है। अतः इस की का निर्णय विरूद्ध वादीगण तय किया जाता है।

तनकी नं0 3 इस तनकी के समर्थन में वकील प्रतिवादीगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं बयान गवाहों अवलोकन से यह तय हो जाता है। प्रश्नगत आराजी में मृतक पन्ना के वारिसान का नाम विधि अनुसार आया है। इन्तकाल नं0 97 दिनांक 07.01.2006 जो मृतक पन्ना के वारिसान के नाम खुला है व विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अपनाकर खोला गया है। अगर वादीगण को किसी तरह का गुरेज होता तो वह यथासमय मृतक पन्ना के वारिसान के हक में खोले गये इन्तकाल की सक्षम न्यायालय में अपील करते जो नहीं की गई अतः वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

तनकी नं0 4 इस तनकी का निर्णय विधि द्वारा सुस्थापित नियमों के तहत उभयपक्षकारों के पक्ष एवं विपक्ष में अनुतोष में किया जा रहा है। उभयपक्षकारान वाद खर्च अपना–अपना वहन करेगें।

क्रियात्मक आदेशः– हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकील उपभयपक्षकारान की वृहद् बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के पश्चात तथा तनकी वाईज विस्तृत विवेचन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे की वादीया (वादीगण) अपना वाद साबित करने में असफल रहे है तथा वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। अतः वाद वादीगण मय खर्चा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फर्द डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(प्रकाशचन्द्र मीना)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, झालावाड

Scanned by CamScanner